केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 258 सोमवार 13 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

ममेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में रविवार की सुबह 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके सगे ममेरे भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित मासूम कुछ दिन पहले ही अपनी मां के साथ ननिहाल आई हुई थी। सुबह जब घर के अन्य सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त थे, तभी आरोपी भाई ने यह गंदा काम किया।

जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो घर में कोहराम मच गया और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घ्पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है।

सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया, नाबालिग बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है ।

बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राम जानकी मार्ग पर स्थित गायघाट पुलिस चौकी के सामने शनिवार देर शाम एक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें एक अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी थी। कलवारी थाना क्षेत्र के गायघाट कस्बे के निवासी 75 वर्षीय हमींदुल्लाह पुत्र बिस्मिल्लाह शनिवार देर शाम अपने घर जा रहे थे। सड़क पार करते समय पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद हमींदुल्लाह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बस्ती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने हमींदुल्लाह को मृत घोषित कर दिया।

गायघाट चौकी प्रभारी राकेश मिश्र ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी बाइक को कब्जे में ले लिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बरसात का डरः गेहूं की मड़ाई में जुटे किसान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जनपद में गेहूं की कटाई के बाद मड़ाई (थ्रेसिंग) का काम तेजी से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव और आसमान में छाए बादलों को देखते हुए किसानों ने यह कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। किसानों को बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। इसी आशंका के चलते वे अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए दिन–रात एक कर रहे हैं। खलिहानों में सुबह से ही थ्रेशर और कंबाइन मशीनों का शोर सुनाई देने लगता है। किसानों ने बताया कि उन्हें अपनी फसल जल्द से जल्द सुरक्षित करनी है। मजदूरों की कमी के बावजूद किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अनाज को सहेजने में जुटे हैं।

पाकिस्तान में ईरान शांति वार्ता विफल ट्रंप ने चीन को दिया खुली धमकी

वांशिगटन (आभा)। ईरान की जंग को थामने के लिए पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता असफल हो गई है। ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका ऐसी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है, जिसे स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान को सबसे आसान समझौता दिया गया था लेकिन उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन सब के बीच चीन का ऐंगल भी सामने आया है। ऐसी खबरें सामने आई हैं, कि सीजफायर के दौरान चीन ईरान को अपने हथियार भेज सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ऐसा न करने की चेतावनी दी है।

रविवार को मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर चर्चा की। इसी बातचीत के दौरान ट्रंप से चीन द्वारा ईरान को हथियार सप्लाई के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ष्अगर चीन ऐसा करता है, तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है?ष गौरतलब है कि अभी ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ऐसे में अगर तेहरान के पास चीनी हथियार आ जाते हैं, तो

यह अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होंगे।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले से परिचित तीन लोगों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि बीजिंग इन खेपों को तीसरे देशों के माध्यम से भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके स्रोत को छिपाया जा सके। अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बीजिंग कंधे से दागी जाने वाली वायुरोधी मिसाइल प्रणालियों (एमएएनपीए) को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है।

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब इस्लामाबाद में हुई अमेरिका औ ईरान की शांति वार्ता असफल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पश्चिम एशिया की जंग एक बार फिर से शुरू होने की आशंका बन रही है। इससे पहले, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने चेतावनी दी थी कि बीजिंग का ईरान के साथ अमेरिकी हितों के विपरीत तरीके से हस्तक्षेप दोनों संबंधों को जटिल बना सकता है।

ग्रीर ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "हमारी अर्थव्यवस्थाओं के मूल लक्ष्य बहुत अलग हैं। लेकिन आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का एक तरीका है। यदि चीन ईरान के साथ इस तरह से हस्तक्षेप करता है, जो अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक है, तो यह स्पष्ट रूप से संबंधों को जटिल बना देगा, और इसे समाप्त करना चीन की जिम्मेदारी है।"

बता दें, अमेरिका द्वारा ईरान पर पिछले कई दशकों से लगातार प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में चीन ही ईरान के लिए एक बड़ा दोस्त बनकर सामने आया है। ईरान के ज्यादातर तेल उत्पादन का हिस्सा चीन ही खरीदता है। अभी हाल ही में जब होर्मुज से सभी देशों के जहाजों को निकलने में डर लग रहा था। चीनी झंडे वाले जहाज बेधड़क चल रहे थे। चीन ही ईरान की जरूरतों का ज्यादातर सामान सप्लाई करता है। 28 फरवरी के बाद ईरान ने अपना ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम गंवा दिए हैं। रूस स्वयं अभी युद्ध में उलझा हुआ है, ऐसे में वह तेहरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन ही है, जो ईरान की इस समस्या का समाधान कर सकता है।

महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की तैयारी:भाजपा ने जारी किया व्हिप

नई दिल्ली (आभा)। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के विस्तारित बजट सत्र के चरण से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों को तीन लाइन की व्हिप जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी की भी छुट्टी स्वीकार नहीं होगी। गुरुवार को सबकी उपस्थिति जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने एवं इन्हें पारित करने के लिए पेश किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत बुधवार (आठ अप्रैल) को उन प्रारूप विधेयकों को मंजूरी दे दी जिनका उद्देश्य 2029 के संसदीय चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना है। इनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

भाजपा ने अपने सभी सांसदों को

भेजे संदेश में कहा, '16 से 18 अप्रैल 2026 तक यानी आगामी गुरुवार से शनिवार तक लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों को तीन–लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है।' इसने कहा, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त तीनों तिथियों पर सदन में उपस्थित रहें।

संदेश में कहा गया, 'सदन में उपस्थिति अनिवार्य है। कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे व्हिप का सख्ती से पालन करें और सदन में अपनी निर्बाध उपस्थिति सुनिश्चित करें।'

चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को दिए काल्पनिक नाम, भारत ने सिरे से किया खारिज

नई दिल्ली (आभा)। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने के चीन के कदम को साफ तौर पर खारिज कर दिया। नई दिल्ली की ओर से कहा गया कि ऐसे दावे और निराधार विमर्श गढ़ने के प्रयास इस अकाट्य वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि वे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसमें कहा गया कि चीन को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, जो संबंधों में नकारात्मकता पैदा करते हैं और बेहतर समझ बनाने के प्रयासों को कमजोर करते हैं।

नई दिल्ली की प्रतिक्रिया बीजिंग की ओर से अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के लिए चीनी नामों की घोषणा के जवाब में आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, श्भारत, चीन की ओर से भारत की भूमि के अंतर्गत आने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के किसी भी शरारती प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।'

रणधीर जायसवाल ने कहा, श्चीन की ओर से झूठे दावे पेश करने और निराधार विमर्श गढ़ने के ऐसे प्रयास

इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश सहित ये स्थान और क्षेत्र भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे।श जायसवाल ने कहा कि चीनी पक्ष की ये कार्रवाइयां भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने के चल रहे प्रयासों से ध्यान भटकाती हैं।

चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इसे जंगनान या दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा बताता है। वह 1914 की शिमला संधि और मैकमोहन रेखा को ब्रिटिश साम्राज्यवादी षड्यंत्र मानकर खारिज करता है, क्योंकि चीन के अनुसार तिब्बत स्वतंत्र नहीं था और यह रेखा अवैध है। चीन बार–बार इस क्षेत्र के स्थानों के चीनी नाम जारी करता है और इसे अपना प्राचीन तिब्बती क्षेत्र बताता है।

फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगी सम्मान निधि, गेंहू भी नहीं बेच पायेंगे किसान

लखनऊ (आभा)। किसानों ने अगर अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो फटाफट करा लें। वरना आपके कई काम लटक जाएंगे। शासन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन के आदेश के अनुसार किसान अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। इतना ही नहीं बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को सम्मान निधि का लाभ भी नहीं मिलेगा।

प्रमुख सचिव खाद्य ने आरएफसी और डिप्टी आरएमओ को पत्र भेज कर फार्मर आईडी वाले किसानों से ही गेहूं खरीदने का निर्देश दिया है। शासन के जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जांच के बाद ही उन्हें टोकन जारी किया जाए। शासन के तमाम निर्देशों के बावजूद जिले के 80 हजार किसानों ने अबतक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है। इन किसानों

का फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए कृषि विभाग के साथ ही राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत भवनों पर कैंप भी लगा रहे है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान कैंप में फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे है। शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए नया आदेश जारी किया है।

प्रमुख सचिव खाद्य ने जारी आदेश में कहा है कि अब उन्हीं किसानों से गेहूं खरीदा जाए जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराया है। शासन के इस आदेश से मिर्जापुर के 80 हजार किसान अब सरकारी क्रयकेंद्रों पर गेहूं नहीं बेंच सकेंगे। इन किसानों ने अबतक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है। संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद का कहना है कि ऐसे किसान तत्काल फार्मर रजिस्ट्री करा लें, तभी वे सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। उर्वरक भी नहीं मिलेगीउप निदेशक कृषि विकेश पटेल का कहना है कि जायद के सीजन में उर्वरक उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिन्होने फार्मर रजिस्ट्री कराया है। जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है, उन्हें सहकारी समितियों से उर्वरक नहीं मिल पायेगा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियो को अगली किस्त का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी फार्मर रजिस्ट्री बन जाएगी। प्रत्येक राजस्व गांव में इसके लिए कार्मिकों की डयूटी लगायी गयी है और इसका कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरती गयी है उनके कार्यालयध्यक्षों को लापरवाही के निर्देश दिये गये हैं।

महान गायिका आशा भोसले अब यादों में: शोक में डूबा देश

मुम्बई (आभा)। महान गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने किया है। उन्होंने बताया कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार (13 अप्रैल) शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। आशा भोसले के निधन के बाद म्यूजिक से लेकर सिनेमा, क्रिकेट और राजनेता भी सभी सिंगर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

11 अप्रैल को शाम आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती कराया गया

था। उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि अत्यधिक थकान और सीने में इन्फेक्शन की कारण उन्हें अस्पताल लाया गया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। उनके निधन से भारत शोक में डूब गया है। देश भर की मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रही हैं। पढ़िए उन्हें याद कर कौन क्या कह रहा है। दिग्गज सिंगर आशा भोसले के फैंस के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों भरा है। आशा ताई की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उनके घर के बाहर उमड़ी पड़ी।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आशा जी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, आशा भोसले जी। आपकी आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है और वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ओम शांति!

विश्व हिन्दू महासंघ के स्थापना दिवस पर निकली धर्म का जयघोष विशाल शोभा यात्रा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । रविवार को विश्व हिन्दू महासंघ के 45 वें स्थापना दिवस पर धर्म का जयघोष विशाल और भव्य शोभा यात्रा जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के संयोजन में निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री हनुमान जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के रूप में अखिलेश सिंह के पुत्र शौर्य प्रताप सिंह मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहे। यात्रा राजकीय इण्टर कालेज के मैंदान से गाजे– बाजे के साथ धर्म का जयघोष करते हुये गांधीनगर, कम्पनीबाग होते हुये तिरंगा चौराह पहुंची। यहां कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि धर्म, संस्कृति और एकता के इस महापर्व में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर एकजुटता का परिचय दिया। शोभा यात्रा में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल

दयाराम चौधरी, आनंद सिंह बाजा भैया, दिलीप पाण्डेय, अंकुर वर्मा के साथ ही विश्व हिन्दू महासंघ के अजय मिश्रा बिंदु गोपाल त्रिपाठी सौरभ त्रिपाठी विवेक श्रीवास्तव, शिवलाल प्रेमी अमरजीत सिंह विपिन विपिन बालकृष्ण सिंह राजकुमार और मंटू चौधरी राकेश सिंह सुमित शुक्ला, सौरभ चतुर्वेदी परमानंद गुप्ता संदीप कमलापुरी, पूनम सिंह, कंचन विश्वकर्म ममता शर्मा, अनसूया पाण्डेय, आरती यादव, सोनी, अभिषेक शर्मा, सतीश पाण्डेय, पप्पू, प्रिंस जायसवाल, सिकंदर वर्मा, विनय तिवारी, चंद्रमणि पाण्डेय, अभिषेक सिंह, रंजीत चौधरी, चंदन शर्मा, रामचरण सोनकर, विवेक प्रजापति, जय राम कुमार के साथ सैकड़ो पदाधिकारी कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे।

लाभार्थियों के घर–घर पहुंच कर ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे ने दिया योजनाओं की जानकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा, (बस्ती)। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर संचालित गांव चलो अभियान के तहत रविवार को विकास क्षेत्र के कुदरहा ग्राम पंचायत में ब्लाक प्रमुख अनिल दुबे ने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर सरकार की योजनाओं व केंद्र सरकार के नौ वर्ष की उपलब्धियां को बताते हुए घर–घर जा कर पत्रक वितरित किये। उन्होंने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित किया। लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं आयुष्मान भारत, किसान सम्मन निधि, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजनाओं को विस्तार से बताया। मंडल अध्यक्ष

मनोज पासवान, महंथ पाल, प्रधान इंद्र कुमार, फूलचंद पटेल, विजय शंकर मिश्र के साथ टेडिहा व मसोढवा गांव में भी लोगों के दरवाजे तक पहुंच कर पत्रक सौप कर संवाद स्थापित किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज पासवान, गंगाराम दुबे, मनीष त्रिपाठी, विजली गोस्वामी, अनीता देवी, सुनीता, शकुंतला, रीमा, मनीषा देवी सहित तमाम लाभार्थी मौजूद रही।

क्रीड़ा भारती की वार्षिक बैठक में प्रभाकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर सह मंत्री मनोनीत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। क्रीड़ा भारती गोरक्ष प्रांत की वार्षिक नियोजन बैठक गोटवा स्थित एक मैरिज हाल में रविवार को सम्पन्न हुई। बैठक में क्रीड़ा भारती के क्षेत्रीय संयोजक अजय रजत दीक्षित का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने संगठन के कार्यों को गति देने पर बल दिया। प्रांतीय अध्यक्ष अरुण प्रजापति ने बस्ती जनपद कार्यकारणी का विस्तार करते हुए प्रभाकर ओझा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सुधीर कुमार पाण्डेय को सह मंत्री का दायित्व सौंपा। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी अपने कार्यों का निष्ठा से निर्वहन करें। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है उसका निर्वहन करते हुए पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे।

बैठक में वर्षभर आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों क्रीड़ा भारती स्थापना दिवस, हनुमान जयंती, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, क्रीड़ा भारती ज्ञान परीक्षा,

माता जीजाबाई पुरस्कार तथा सूर्य नमस्कार के सफल संचालन हेतु रूपरेखा तय की गई। साथ ही संगठन के विस्तार एवं गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि क्रीड़ा भारती खेल को आनंद एवं संस्कार के रूप में समाज में स्थापित करने के लिए कार्यरत है तथा प्राचीन भारतीय खेलों के प्रति जनजागरूकता फैलाने का निरंतर प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह ने किया और कार्यक्रम के संयोजक प्रांत क्रीड़ा केंद्र प्रमुख राम सिंह रहे। बैठक में प्रांत उपाध्यक्ष अंजू सिंह, प्रांत मंत्री बी.एन. मिश्रा, प्रांत सह मंत्री सुरेंद्र सिंह, प्रांत प्रचार प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार पाठक, प्रांत आईटी प्रमुख अमित त्रिपाठी, प्रांत कोषाध्यक्ष चिन्मयानंद मल्ल एवं महानगर संयोजक मानवेंद्र सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 13 अप्रैल 2026 सोमवार

सम्पादकीय

आशा भोसलेः एक युग का अंत

आशा भोसले ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। आज भी उनके गीत संगीत प्रेमियों के दिल में बसे हैं। आशा भोसले का संगीत करियर जितना चर्चा में रहा, उतनी ही सुर्खियों में उनकी जिंदगी भी रही। अपनी मधुर गायकी से 7 दशकों तक उन्होंने दिल खोलकर गाना गया है। आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं हैं बताया जा रहा है कि आज सुबह ही उनका निधन हो गया है। 11 अप्रैल को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। आशा भोसले के जाने से उनके फैन्स को झटका लगा है। 13 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका निधन संगीत के एक युग का अंत है।

अपनी बड़ी दीदी लता मंगेशकर के पद्चिन्हों पर चलते हुए आशा भोसले ने भी संगीत की दुनिया में कदम रखा। पिता के गुजरे जाने के बाद दोनों बहनों ने परिवार को चलाने के लिए काम करना शुरू किया, फिल्मों में गीत गाने शुरू किए। आशा भोसले ने अपना पहला गीत मराठी फिल्म 'माझा बाल' (1943) में गाया था। फिर बॉलीवुड फिल्म 'चुनरिया (1948)' में 'सावन आया' नाम का गीत उन्होंने गाया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बॉलीवुड की सबसे मशहूर गायिका बन गईं। कई भाषाओं में गीत गए, देश और दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की। यह तो उनके करियर की बात थी लेकिन आशा भोसले की जिंदगी भी हमेशा खबरों का हिस्सा रही थीं।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की गायिकी का अंदाज अलग था। दोनों ने हिंदी सिनेमा और संगीत जगत में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अक्सर ही दोनों के बीच राइवरली की बात भी सामने आती थी। दोनों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। आशा भोसले तो लता दीदी को अपना आइडल मानती थीं। लेकिन कम उम्र में ही आशा भोसले के कारण लता मंगेशकर का दिल दुखा था। दरअसल, आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्रेम विवाह कर लिया। गणपत राव आशा से 20 साल बड़े थे। इस रिश्ते को लता मंगेशकर और उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया।

लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिश्तों पर बॉलीवुड में एक फिल्म 'साज' भी बनी थी, इसे साई परांजपे ने बनाई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिश्तों पर थी। फिल्म में लीड रोल में शबाना आजमी और अरुणा ईरानी थीं, इन्होंने फिल्म में दो बहनों का रोल किया था। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में आशा भोसले ने कहा था, 'यह बिल्कुल भी सच नहीं है। दो महिलाओं को फिल्म में लेना, कुछ घटनाओं को चुनना और उन्हें बढ़ा–चढ़ाकर 3 घंटे की फिल्म बना देना, यह तो समय की पूरी बर्बादी है।'

जबकि डायरेक्टर ने कहा था कि इसका आइडिया उन्हें एक्ट्रेस शबाना आजमी से मिला था। एक्ट्रेस ने उनसे एक प्लेबैक सिंगर पर फिल्म बनाने को कहा था। डायरेक्टर ने यह भी कहा कि फिल्म में दो बहनों की जो कहानी दिखाई गई है, वह एक राइटर के तौर पर उनके खुद के अनुभवों और भावनाओं पर आधारित है।

आशा भोसले और गणपत राव की शादी ज्यादा चली भी नहीं। 11 साल बाद आशा भोसले पति से अलग हो गईं। गणपत राव से आशा भोसले को तीन बच्चे हुए। पहले पति गणपत राव ने आशा भोसले को 2 बच्चों और प्रेग्नेंसी के हालत में घर से निकाल दिया। आशा भोसले ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी के बारे में कहा था, 'पति का परिवार रूढ़िवादी था, वह एक सिंगिंग स्टार को स्वीकार नहीं कर सका। जब मैं अपने छोटे बेटे आनंद को जन्म देने वाली थी तो परिवार ने मायके वापस लौट जाने को कहा।'

पहली शादी टूटने के बाद आशा भोसले की जिंदगी में फिर से प्यार की बहार आई। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन और आशा भोसले की मुलाकात हुई। आरडी बर्मन ने ही आशा भोसले के सामने अपने प्यार का इजहार पहले किया था। वह आशा भोसले से 6 साल छोटे थे। म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन से आशा भोसले ने 1980 में शादी की। लेकिन इनकी शादी की राह आसान नहीं थी। आशा भोसले के तीन बच्चे पहली शादी से थे, ऐसे में आरडी बर्मन के परिवार वाले इस शादी के राजी नहीं थे। लेकिन आरडी बर्मन नहीं माने, उन्होंने आशा से शादी की। आगे चलकर दोनों ने बेहतरीन गीतों पर काम किया। साल 1994 में आरडी बर्मन का निधन हुआ, इसके बाद आशा भोसले अकेली पड़ गईं।

पति आरडी बर्मन को आशा भोसले पहले ही खो चुकी थीं। फिर उनकी जिंदगी से जुड़े दो खास लोग भी दुनिया को अलविदा कह गए। आशा भोसले की बेटी वर्षा ने साल 2012 में आत्महत्या कर ली। वहीं चार साल बाद यानी 2015 में बेटे हेमंत का कैंसर के कारण निधन हो गया। दो बच्चों की मौत ने आशा भोसले को भीतर से तोड़ दिया। आशा भोसले को आज दुनिया एक मशहूर गायिका के रूप में जानती है। अगर वह कभी सिंगर ना बन पातीं तो कुक के प्रोफेशन को चुनतीं।

आशा भोंसले ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वह सिंगर नहीं बनती तो वह एक कुक होतीं। बता दें कि दुबई, कुवैत में उनके नाम से रेस्टोरेंट भी है। यहां पर भारतीय खाना मिलता है। एक खबर के अनुसार इंटरनेशनल कुक रसेल स्कॉट ने आशा ब्रांड के राइट्स खरीदे थे। वह ब्रिटेन में लगभग 40 रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहे थे। आशा भोसले ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए। हिंदी के अलावा वह कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। सिंगिंग के अलावा आशा भोसले ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। साल 2013 में आशा भोसले ने एक मराठी फिल्म 'माई' में अभिनय किया। इसमें उनके अभिनय को खूब सराह गया था। उनका योगदान युगों तक याद किया जायेगा।

जालियांवाला बाग हत्याकांडः दमन और प्रतिरोध की कथा

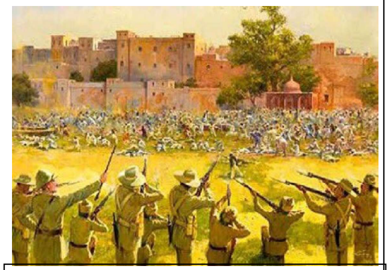

-डॉ.राजेश कुमार शर्मा -

जालियॉवाला बाग हत्याकाण्ड भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस भयावह घटना के बाद भी आजादी के लिए लोगों का हौसला पस्त नही हुआ अपितु सच तो यह है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। आजादी की चाह न केवल पंजाब, बल्कि पूरे देश के बच्चे–बच्चे के सिर चढ़ कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जालियॉवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया।

यदि किसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना जालियॉवाला बाग हत्याकांड ही था। आजादी की लड़ाई में भारतीयों के जान न्योछावर करने के एक से बढ़कर एक उदाहरण है लेकिन जालियॉवाला बाग की घटन कई मामलों में अलहदा है। घटना का विवरण सुनकर आज भी हम सभी के रोंगटे खडे हो जाते है। यह एक अंग्रेज जनरल के क्रूरता की हद पार कर जाने की दास्तां हैं तो भारतीयों में आजादी की छअपटाहट का भी अफसाना है। अमृतसर की उत्तेजित जनता को कुचलने के लिए नगर को सेना के हवाले सौंप दिया गया था। 12 अप्रैल को शहर में सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिसकी पूरी जानकारी जनता को नही करायी गयी। 13 अप्रैल को पंजाब की सबसे लोकप्रिय बैशाखी का त्योहार था। अपने स्थानीय नेताओं को रिहा कराने और आगे की रणनीति बनाने के उद्देश्य से अमृतसर के जालियॉवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। हजारों की संख्या में स्त्री, पुरूष और बच्चे सभा में एकत्रित हुये थे। इनमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार के साथ बैशाखी मेला का आनन्द लेने और सिर्फ घूमने के लिए आये थे। जनरल डायर को लगा कि यह सभा उसके आदेश की अवहेलना करके आयोजित की गई है। जब सभा शान्तिपूर्ण चल रहा था तो जनरल डायर ने 200 देशी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और बिना कोई चेतावनी दिये अपने सैनिकों को राइफलों और मशीनगनों से अन्दर जमा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। सभास्थल के चारों ओर ऊंची–ऊंची दीवारें थी जहॉ से तुरन्त भागना संभव भी नही था। भागने का कोई रास्ता नही होने के कारण कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुऐं में कूद गये और देखते ही देखते वह कुँआ भी लाशों से पट गया। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुऐं से ही मिले। आज इस कुऐं को 'शहीदी कुऑं' के नाम से जाना जाता है। ाहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण घायलों को इलाज के लिए कही नही ले जाया सका और लोगों ने तड़प–तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। सरकारी ऑकडों के मुताबिक लगभग दस हजार की निहत्थी भीड पर 1650 राउण्ड गोलियॉं चलाई गई जिसमें 379 लोग मारे गये और लगभग दो हजार लोग घायल हुये। गैर–सरकारी अनुमानों के अनुसार मरनेवालों की संख्या लगभग 1500 थी। भारतीय इतिहास में यह घटना 'जालियॉवाला बाग हत्याकांड' के नाम से जानी जाती है। जालियॉवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहसी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। इस निर्मम हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल ला लागू कर दिया गया और जनता पर जंगली किस्म के अत्याचार किये गये। जालियॉवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपना 'सर' और 'नाईटहुड' यज्ञदपहीज. ीववकद्ध की उपाधि का परित्याग कर दिया। इसके अलावा, वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकरराम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। लार्ड हण्टर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक समिति तो बनाई गई लेकिन कोई परिणाम नही निकला। जालियॉवाला बाग हत्याकांड की जॉच के लिए कांग्रेस ने अपने स्तर पर भी एक जॉच समिति का गठन किया।

मतुआ समुदाय निभाएगा बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका

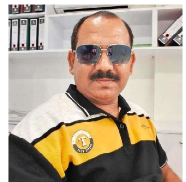

—मजहर हुसैन—

बंगाल चुनाव 2026 में मतुआ समुदाय का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। जो मुद्दा कभी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। यह सिर्फ वोट बैंक की कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, नागरिकता और भरोसे की राजनीति का सवाल है। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा की भाजपा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है एक बार सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर कभी नहीं ।

बंगाल चुनाव 2026 के ऐन पहले शरणार्थी मतुआ समुदाय का राजनीतिक मिजाज तेजी से बदलता दिख रहा है। जिस नागरिकता के वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने इस समुदाय में मजबूत पैठ बनाई थी,

वही मुद्दा अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण 'एसआईआर' की अंतिम मतदाता सूची ने इस भरोसे को झटका दिया है और भाजपा के परंपरागत समर्थन आधार में दरार के संकेत मिलने लगे हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव से ही भाजपा ने नागरिकता संशोधन अधि ानियम (ब्।।) के जरिए मतुआ और नामशूद्र समुदाय को स्थायी नागरिकता का भरोसा दिया था। यही वादा चुनावी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा। लेकिन अब हालात उलट दिख रहे हैं। नदिया और उत्तर 24 परगना के मतुआ बहुल इलाकोंकृबनगांव, बागदा, गायघाटा और रानाघाटकृमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने के बाद सवाल उठने लगे हैं। उत्तर 24 परगना में 12.3 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, सबसे ज्यादा असर बनगांव उपखंड और नदिया जिले में आरक्षित ;ैब्) सीटों में 'अनमैप्ड' मतदाताओं की संख्या अधिक है , करीब 55 विध ानसभा सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक भूमिका निबाहते है । यह वही क्षेत्र हैं जहां 2021 में भाजपा को अपनी 77 सीटों में से बड़ी सफलता मिली थी। यानी यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सीधे–सीधे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है।

जमीनी स्तर पर मतुआ समुदाय में असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। गायघाटा के रहने वाले अशोक मंडल और सुधांशु बनर्जी कहते हैं कि "वोट देने के बाद अब हमारा वोट देने का अधिकार ही छिन गया।"

बागदा के बोयरा गांव में करीब 50 परिवारों ने भाजपा छोड़ने का फैसला किया कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ता दिख रहा है यह सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्संरेखण का संकेत है।

अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण बताता है कि इसका सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जाति ;ैब्) के आरक्षित क्षेत्रों पर पड़ा है। मतुआ और नामशूद्र समुदाय, जो पहले ही नागरिकता और पहचान के मुद्दों से जूझ रहे थे, अब दोहरी मार झेल रहे हैं । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भाजपा अब सक्रिय डैमेज कंट्रोल में है। पार्टी नेताओं का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं जिनके नाम कटे हैं, उन्हें वापस जोड़ा जाएगा यह प्रक्रिया तकनीकी त्रुटियों का परिणाम हो सकती है , लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के समय यह आश्वासन कितना भरोसा लौटा पाएगा?दूसरी ओर, ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना लिया है। तृणमूल कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है किरू शरणार्थियों को धोखा दिया गया नागरिकता का वादा सिर्फ वोट लेने के लिए था मतदाता सूची से नाम हटाना एक बड़ी साजिश है इससे यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि हाई–वोल्टेज राजनीतिक विवाद बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतुआ समुदाय का झुकाव किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है अगर नाराजगी वोट में बदलती है, तो भाजपा को सीधे सीटों का नुकसान हो सकता है और तृणमूल कांग्रेस को इसका सीधा लाभ मिल सकता है । मतुआ समुदाय लंबे समय से भाजपा का मजबूत आधार रहा है। लेकिन अब नागरिकता का वादा सवालों में वोटर लिस्ट से नाम कटना जमीनी नाराजगी, ये तीनों फैक्टर मिलकर भाजपा के लिए डबल चौलेंज बन चुके हैं। बंगाल चुनाव 2026 में मतुआ समुदाय का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। जो मुद्दा कभी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। यह सिर्फ वोट बैंक की कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, नागरिकता और भरोसे की राजनीति का सवाल है। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा की भाजपा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है एक बार सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर कभी नहीं ।

कार्यालय ग्राम पंचायत कड़र खास वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कड़र खास** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कड़र खास** के निविदा बाक्स में दिनांक 22–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 21–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कड़र खास** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कड़र खास** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कड़र खास** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अब्दुल हकीम) प्रधान ग्राम पंचायत–**कड़र खास**
(विवेक कुमार श्रीवास्तव) सचिव ग्राम पंचायत–**कड़र खास**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बटेला वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बटेला** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बटेला** के निविदा बाक्स में दिनांक 22–04–2026 तक अपरान्ह 09:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 10:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 21–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बटेला** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बटेला** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बटेला** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(श्रीमती कुसलावती देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**बटेला**
(विवेक कुमार श्रीवास्तव) सचिव ग्राम पंचायत–**बटेला**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

ग्राम पंचायत बर्डपुर–2 विकास खण्ड बर्डपुर, जनपद–सिद्धार्थनगर

अल्पकालीन निविदा सूचना

ओडीएफ ग्राम पंचायत **बर्डपुर–2** द्वारा जी राम जी / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) / 15वां / 16वां वित्त /केन्द्रीय वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग /उत्सव भवन / स्वच्छ भारत मिशन/एम.एल. एल. डब्ल्यू. एम. / सांसद / विधायक एम. एल. सी. निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (प्रथम श्रेणी ईंट, सीमेंट, ईंट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, सरिया, पेंट, साइनबोर्ड, ह्यूम पाइप, स्ट्रीट लाइट, सफाई सामग्री, बेला, सादा बालू, मोरंग बालू, कूड़ादान, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा साइकिल, ई–रिक्शा मरम्मत, स्वच्छता किट, इन्सिनरेटर आदि एवं अन्य प्रकार की निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। इस निमित्त निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 22–04–2026 को समय 01:00 बजे तक अपनी निविदा फार्म मूल्य रू100.00 के स्टाम्प पेपर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **बर्डपुर–2** निविदा बॉक्स में डालेंगे। निविदा उसी दिन 02:00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। शर्तें एवं नियमावलीः 1. अधिकृत फर्म/अधिकृत डीलर का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 03 वर्ष का आयकर क्लियरेंस संलग्न करना अनिवार्य है। 2. जी. एस. टी. तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर ही दरें प्रस्तुत की जाएं। 3. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2.28 प्रतिशत आयकर/टीडीएस देना होगा। 4. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होंगी। भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. के समयानुसार तय दर पर ही किया जाएगा। 5. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, टीए, अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी 16. धरोहर की धनराशि रू 5000.00 (पांच हजार) होगी। 7. धरोहर की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर/एनएससी एवं डाकघर के बचत पत्र के रूप में सचिव ग्राम पंचायत के नाम बंधक होगी। मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 8. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। 9. आदेश देने के सात दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 10. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 11. सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। 12. आपूर्ति कर्ता को भुगतान का इंजीनियर/अवर अभियंता (या अभियंता) /तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा माप के उपरांत किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र रू 100.00 में ही स्वीकार किया जाएगा। 14. निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। 15. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। 16. निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत **बर्डपुर–2** से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 17. जिस कार्य की निविदा पृथक से निकाली जाएगी उस कार्य पर इस निविदा की शर्तें लागू नहीं होंगी।

ग्राम प्रधान — जहॉं आरा, ग्राम पंचायत–बर्डपुर–2, विकास खण्ड बर्डपुर, सिद्धार्थनगर
सचिव — शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत–बर्डपुर–2, विकास खण्ड बर्डपुर, सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत जिभियांव वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **जिभियांव** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **जिभियांव** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 10:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 11:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **जिभियांव** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **जिभियांव** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **जिभियांव** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(कहकशा खातून) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**जिभियांव**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**जिभियांव**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत उजियानपुर वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **उजियानपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **उजियानपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **उजियानपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **उजियानपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **उजियानपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अनीता) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**उजियानपुर**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**उजियानपुर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कुदरहा वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कुदरहा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कुदरहा** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कुदरहा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कुदरहा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कुदरहा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(पूजा) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**कुदरहा**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**कुदरहा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत हरखौलिया उर्फ मटियरिया वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हरखौलिया उर्फ मटियरिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **हरखौलिया उर्फ मटियरिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 10:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 11:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 16–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **हरखौलिया उर्फ मटियरिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **हरखौलिया उर्फ मटियरिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **हरखौलिया उर्फ मटियरिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शिव कुमारी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**हरखौलिया उर्फ मटियरिया**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**हरखौलिया उर्फ मटियरिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बेहरा वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेहरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बेहरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 29–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 28–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बेहरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बेहरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बेहरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अजीत चौधरी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**बेहरा**
(रणविजय सिंह) — सचिव, ग्राम पंचायत–**बेहरा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 11.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवपुर वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **शिवपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **शिवपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **शिवपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **शिवपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **शिवपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(घनश्याम) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**शिवपुर**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**शिवपुर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत छरदही वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **छरदही** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **छरदही** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 10:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 11:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **छरदही** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **छरदही** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **छरदही** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विद्यावती) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**छरदही**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**छरदही**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत टेंगरिहाराजा वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **टेंगरिहाराजा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **टेंगरिहाराजा** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **टेंगरिहाराजा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **टेंगरिहाराजा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **टेंगरिहाराजा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(किसमता) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**टेंगरिहाराजा**
(गोरखनाथ यादव) — सचिव, ग्राम पंचायत–**टेंगरिहाराजा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत हथियांव कला वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हथियांव कला** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **हथियांव कला** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 16–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **हथियांव कला** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **हथियांव कला** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **हथियांव कला** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(स्नेहा सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**हथियांव कला**

(गोरखनाथ यादव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**हथियांव कला**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(योगेन्द्र प्रसाद)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा**

(अभिनव यादव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**डिहुकपुरा उर्फ शुक्लपुरा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत जमोहरा वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **जमोहरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **जमोहरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 09:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 10:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **जमोहरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **जमोहरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **जमोहरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(यासमीन)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**जमोहरा**

(मनोज कुमार वर्मा)
सचिव
ग्राम पंचायत–**जमोहरा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कुसम्हा वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कुसम्हा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कुसम्हा** के निविदा बाक्स में दिनांक 28–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 27–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कुसम्हा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कुसम्हा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कुसम्हा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(बसन्त कुमार)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**कुसम्हा**

(रणविजय सिंह)
सचिव
ग्राम पंचायत–**कुसम्हा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत परेवा वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **परेवा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **परेवा** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 16–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **परेवा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **परेवा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **परेवा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(ममता)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**परेवा**

(गोरखनाथ यादव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**परेवा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत अइलिया वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **अइलिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **अइलिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 10:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 11:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **अइलिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **अइलिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **अइलिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(उर्मिला)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**अइलिया**

(अभिनव यादव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**अइलिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत छिबरा वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **छिबरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **छिबरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 14–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **छिबरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **छिबरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **छिबरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(बाबूराम राव)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**छिबरा**

(अभिनव यादव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**छिबरा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

जल संरक्षण के लिए संतकबीर नगर तक साइकिल चलाकर पहुंचे गोरखपुरिए

संवाददाता–संतकबीरनगर। जल संरक्षण का संदेश लेकर गोरखपुर के साइकिल प्रेमियों ने संत कबीर नगर तक लंबी यात्रा की। रविवार की सुबह छह बजे पंकज श्रीवास्तव की अगुवाई में आयोजित जल ही जीवन है। साइकिल रैली को महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने गोलघर स्थित काली मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली संत कबीर नगर के खलीलाबाद चौराहे तक पहुंची। वहां से वापस लौटकर समापन हुआ। इसका आयोजन गोरखपुर मॉर्निंग साइकिल क्लब ने किया। रविवार की सुबह हुआ यह आयोजन जल जागरूकता का प्रतीक बना। रास्ते भर साइकिल सवारों ने नारे लगाए– 'जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ'। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश उपाध्याय ने किया। अध्यक्षता राजवीर सिंह ने की। इस अभियान में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। रैली मार्ग में मगहर गेट के पास डॉ. संतोष त्रिपाठी ने साइकिल सवारों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने उत्तराई और शाल भेंट कर सम्मानित किया। इस अभियान में अरुण बथवाल, राजन श्रीवास्तव, उद्देश्य पाण्डेय, अतुल विशेन, अभिषेक श्रीवास्तव, अनुराग दुबे, विजय श्रीवास्तव, राहुल सिंह, राजेश पाण्डेय शामिल रहे। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। शहर में जल स्तर तेजी से घट रहा है। ऐसे आयोजन जन जागरूकता बढ़ाएंगे। क्लब पदाधिकारियों ने भविष्य में और रैलियों की योजना बनाई है।

तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

संवाददाता–गोरखपुर। चिलुआताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार बरगदवा चौकी प्रभारी विनय कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध असलहा लेकर फर्टिलाइजर से बरगदवा की ओर पैदल आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बताए गए हुलिए के युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अनुज कुमार (24) पुत्र रामचंद्र प्रसाद, निवासी बेतियाहाता हरिजन बस्ती थाना कैंट के रूप में हुई।

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com